1.लोक सूचना पदाधिकारी

श्री विश्वजीत कुमार,
अवर सचिव, **मोबाईल सं०**–9386539328
बिहार विधान सभा सचिवालय । **ई–मेल–** vishumi74@gmail.com

2.प्रथम अपीलीय प्राधिकार

श्री राजीव कुमार, **दूरभाष सं०**–0612-2215027
निदेशक, **मोबाईल सं०**–9430284376
बिहार विधान सभा सचिवालय । **ई–मेल–** rajiv1764@gmail.com

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

संख्या:-1स्था०-134/07-............673.... / वि०स० । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 ऑफ 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) सहपठित धारा 2 (ङ) (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी यथा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान सभा (सूचना का अधिकार) नियमावली-2007

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ

(1) यह नियमावली बिहार विधान सभा (सूचना का अधिकार) नियमावली-2007 कही जायेगी ।

(2) इसका विस्तार बिहार विधान सभा के सभी विभागों, संकायों एवं शाखाओं तथा उससे सम्बद्ध राज्य तथा राज्य के बाहर उन सभी गतिविधियों तक होगा जिसका सम्बन्ध उक्त विभागों, संकायों या शाखाओं से हो ।

(3) यह तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

(ख) 'अपीलीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जिसे अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा प्रथम अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ग) आयोग से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-15 के अधीन गठित बिहार राज्य सूचना आयोग ।

(घ) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली में अनुलग्न प्रपत्र ।

(ङ) फीस से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट-1 में निर्धारित दर जिसे बिहार विधान सभा समय-समय पर अलग से अधिसूचना द्वारा पुनर्निर्धारित कर सकेगी ।

(च) "लोक सूचना अधिकारी" से अभिप्रेत है वैसे लोक सूचना पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-5 के उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा पदनामित किया गया हैं और इसमें अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा पदनामित सहायक लोक सूचना पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

(2) ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो नियमावली के नियमों में प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. सूचना प्राप्त करने के निमित्त आवेदन :-

(1) जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है वह प्रपत्र "क" में विहित फीस के साथ अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी को बिहार विधान सभा के किसी कार्य दिवस को 9.30 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच आवेदन देगा । आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की रसीद प्रपत्र "ख" में दिया जायेगा । जहाँ नकद प्राप्ति रसीद उपलब्ध हो, वहाँ

फीस की राशि नकद रूप में भुगतान किया जायेगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश अथवा नन जुडिशियल स्टाम्प के रूप में भुगतान किया जायेगा ।

(2) (i) आवेदक को बिहार विधान सभा द्वारा विहित फीस एवं शुल्क देनी होगी ।

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेजता है तो आवेदन देने के सात दिनों के अन्दर फीस का भुगतान करना होगा, अन्यथा आवेदन वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

(ii) लोक सूचना पदाधिकारी प्रपत्र ''ग'' में बिहार विधान सभा द्वारा विहित अन्य फीस एवं शुल्क के बारे में भुगतान के लिए आवेदक को सूचित करेगा ।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार के आवेदक से कोई फीस एवं शुल्क भुगतेय नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होने सम्बन्धित कार्ड का सत्यापित प्रति अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी या सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें ।

(iii) शुल्क एवं फीस के रूप में प्राप्त राशि को बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा विहित प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा ।

4. <u>आवेदन पत्र का निष्पादन</u> :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के लिए आवेदन प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर अपने प्रशाखा से प्रपत्र ''ज'' में सूचना प्राप्त कर प्रपत्र ''घ'' में सूचना उपलब्ध करायेंगे अथवा अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदक को आवेदन अस्वीकृत कर उसे प्रपत्र ''च'' में सूचित करेंगे ।

परन्तु यह कि मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के तहत् छुट (मुक्त) होने के कारण सूचना नहीं दिये जाने का कारण लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को संसूचित किया जायेगा :-

परन्तु यह और कि जहाँ मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है वहाँ लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना, आवेदन प्राप्ति के अड़तालीस घन्टों के अन्दर देनी होगी ।

(2) अगर मांगी गयी सूचना लोक सूचना पदाधिकारी जिसे आवेदन दिया गया है के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत् नहीं आता है तो वह ऐसे आवेदन को प्रपत्र ''ङ'' में सम्बन्धित लोक प्राधिकार / लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन प्राप्ति के पाँच दिनों के अन्दर हस्तान्तरित करेंगे और इसकी सूचना आवेदक को देंगे ।

5. <u>फीस की दरें</u> :-

वांछित सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त करने के लिए फीस की दरें एवं अन्य शुल्क वही होगी जो परिशिष्ट-1 में निर्धारित है । बिहार विधान सभा उक्त फीस एवं शुल्क की दरों में समय-समय पर अधिसूचना जारी कर तथा राजकीय गजट में प्रकाशित कर परिशिष्ट-1 में संशोधन द्वारा पुर्ननिर्धारित कर सकेगा ।

6. <u>अपील</u> :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ''घ'' एवं ''च'' में दिये गये निर्णय से विक्षुब्ध अथवा कोई भी निर्णय नहीं दिये जाने पर विक्षुब्ध व्यक्ति अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निर्णय की प्राप्ति, अथवा निर्णय की अप्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रपत्र ''छ'' में परिशिष्ट-1 में निर्धारित शुल्क के साथ अपील कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम-6(2) में दिये गये ब्योरा के साथ एवं उक्त नियमावली के नियम 6(3) में वर्णित अभिलेख एवं कागजातों को संलग्न कर दायर कर सकेगा ।

7. <u>अभिलेखों का संधारण</u> :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के लिए प्राप्त आवेदनों और उस निमित्त प्राप्त फीस से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेंगे ।

(2) अपीलीय प्राधिकार प्राप्त सभी अपील एवं उस निमित्त प्राप्त फीस और उसके निष्पादन से संबंधित अभिलेखों को संधारित करेंगे ।

8. <u>प्रकीर्ण</u> :-

इस नियमावली के तहत् विहित किये गये प्रपत्रों को किसी प्राधिकृत पूर्व मुद्रित लेखन सामग्री में होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी फारमेट में साफ टंकित, हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक फार्म, जिसमें सभी आवश्यक विवरणी का समावेश प्रपत्रानुसार रहे, में मान्य होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार सरकार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय एवं अवर सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- सभा सचिवालय के सभी उप सचिव / श्री मु० जैनूल, उप सचिव सह अपीलीय प्राधिकारी / श्री चन्द्र भूषण पाठक, अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी एवं स्थापन शाखा, बिहार विधान सभा को (20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । यथा प्रकाशित अधिसूचना की तीस (30) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रपत्र 'च'

(नियम 4 (1) देखें)

सूचना अस्वीकृत करने का आदेश

प्रेषक

लोक सूचना पदाधिकारी

............................विभाग/कार्यालय

पता..

पत्रांक..................................दिनांक......................................

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी..

पता..

महाशय,

सूचना अपलब्ध कराने से संबंधित आपके आवेदन दिनांक...................................आई. डी. सं.................

............................के प्रसंग में मुझे कहना है कि:

1. मांगी गई सूचना निम्न कारणों से उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है:-

मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (....................................) अथवा धारा 9 के अंतर्गत छूट-प्राप्त श्रेणी में आता है ।

2. आप अगर उक्त निर्णय से क्षुब्ध है तो निर्णय-प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर .... के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं ।

नोट:- कृपया अपीलीय प्राधिकार का नाम/पता का विवरण दें ।

विश्वासभाजन,

(   )

विभाग का नाम/कार्यालय

दूरभाष संख्या:

ई-मेल:

वेबसाईट:-

प्रपत्र 'क'

(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-प्रपत्र

आई०डी० सं०

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग / कार्यालय)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग / कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने .... रूपया (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।

   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश सं० .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

   (3) मैंने .... रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड / वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान आवेदक का हस्ताक्षर :

तिथि

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।

जो लागू नहीं है उसे काट दें।

प्रपत्र 'छ'

(नियम 6(1) देखें)

प्रथम अपील का फॉर्म

आई.डी.सं. ....

दिनांक ....

(कार्यालय व्यवहार के लिए)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार

विभाग / कार्यालय ....

महाशय,

चूंकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूंकि लोक सूचना पदाधिकारी .... के निर्णय से क्षुब्ध हूँ, यह अपील आपके समक्ष दायर करता/करती हूँ । मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है :-

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. अपीलकर्ता का पता :
3. (क) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम :

   लोक सूचना पदाधिकारी का पता :

   (ख) विभाग/कार्यालय और पता :

   (ग) निर्णय का विवरण जिसके विरूद्ध

   अपील दायर किया जाता है

   निर्णय सं. एवं तिथि :
4. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने की तिथि
5. सूचना का ब्यौरा-

   (1) सूचना जो मांगी गई;

   (2) अवधि जिसके लिए सूचना की मांग की गई ।
6. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने की तिथि :
7. अपील का कारण

   (क) फॉर्म 'क' में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ ।

   (ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक .... से क्षुब्ध ।
8. अपील का आधार/मामले संबंधित संक्षिप्त तथ्य :
9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि :
10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया :

मैं घोषित करता/करती हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना एवं ब्यौरे सत्य हैं ।

स्थान :

तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पत्राचार का पूरा पता :

ई-मेल पता, अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :

आवास :

---------------------------------- यहाँ से अलग करें ----------------------------------

पावती

प्रेषक

लोक सूचना पदाधिकारी

.... विभाग/कार्यालय

पता ....

आई.डी.सं. .... दिनांक ....

श्री .... निवासी .... से बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम 6 के उप नियम (1) से द्वारा विहित प्रपत्र 'छ' में एक अपील आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले सहायक का हस्ताक्षर

अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय :

दूरभाष सं. (कार्यालय) :

आवास :

ई-मेल :

वेबसाईट :

....

उप सचिव

बिहार विधान

Optimized by www.ImageOptimizer.net

क्रम सं०	सूचना का ब्यौरा	फीस की राशि
1.	सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क	10/- रूपये प्रति आवेदन
2.	अन्य सूचना/अभिलेख (क) सूचना उपलब्ध कराने (i) ए4, ए3 साईज पेपर (ii) बड़ा साईज का पेपर	दो रूपये प्रति पृष्ट बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय
	(ख) सैम्पुल, मॉडल, फोटोग्राफ	वास्तविक व्यय की राशि
नोट :- विभाग के द्वारा सैम्पुल अथवा मॉडल के लिए निधारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा ।		
3.	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	पहले एक घंटे के लिए कोई फीस देय नहीं होगा । उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/- (पांच) रूपये की दर से शुल्क देय होगा ।
नोट : जहां कहीं इस प्रकार की पद्धति अथवा प्रक्रिया वर्त्तमान है वहां पूर्व से निर्धारित दर जारी रहेगी, और उपर्युक्त फीस लागू नहीं होगी ।		
4.	जहां संभव हो (फ्लॉपी/सी.डी.) और डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने पर	50/- (पचास) रूपये प्रति (फ्लॉपी) अथवा सी.डी. देय होगा ।
5.	अपीलीय प्रधिकार के तहत पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क ।	50/- (पचास) रूपये प्रति अपील ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

संख्या:-1स्था०-134/07-.........673... / वि०स० । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 ऑफ 2005) की धारा 28 की उपधारा (1) सहपठित धारा 2 (ङ) (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी यथा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान सभा (सूचना का अधिकार) नियमावली-2007

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ

(1) यह नियमावली बिहार विधान सभा (सूचना का अधिकार) नियमावली-2007 कही जायेगी ।

(2) इसका विस्तार बिहार विधान सभा के सभी विभागों, संकायों एवं शाखाओं तथा उससे सम्बद्ध राज्य तथा राज्य के बाहर उन सभी गतिविधियों तक होगा जिसका सम्बन्ध उक्त विभागों, संकायों या शाखाओं से हो ।

(3) यह तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ।

(ख) 'अपीलीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जिसे अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा प्रथम अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ग) आयोग से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-15 के अधीन गठित बिहार राज्य सूचना आयोग ।

(घ) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली में अनुलग्न प्रपत्र ।

(ङ) फीस से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ अनुलग्नक परिरिशिष्ट-1 में निर्धारित दर जिसे बिहार विधान सभा समय-समय पर अलग से अधिसूचना द्वारा पुनर्निर्धारित कर सकेगी ।

(च) ''लोक सूचना अधिकारी'' से अभिप्रेत है वैसे लोक सूचना पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-5 के उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा पदनामित किया गया हैं और इसमें अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा पदनामित सहायक लोक सूचना पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

(2) ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो नियमावली के नियमों में प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. सूचना प्राप्त करने के निमित्त आवेदन :-

(1) जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है वह प्रपत्र ''क'' में विहित फीस के साथ अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी को बिहार विधान सभा के किसी कार्य दिवस को 9.30 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच आवेदन देगा । आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की रसीद प्रपत्र ''ख'' में दिया जायेगा । जहाँ नकद प्राप्ति रसीद उपलब्ध हो, वहाँ

फीस की राशि नकद रूप में भुगतान किया जायेगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश अथवा नन जुडिशियल स्टाम्प के रूप में भुगतान किया जायेगा ।

(2) (i) आवेदक को बिहार विधान सभा द्वारा विहित फीस एवं शुल्क देनी होगी ।

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेजता है तो आवेदन देने के सात दिनों के अन्दर फीस का भुगतान करना होगा, अन्यथा आवेदन वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

(ii) लोक सूचना पदाधिकारी प्रपत्र ''ग'' में बिहार विधान सभा द्वारा विहित अन्य फीस एवं शुल्क के बारे में भुगतान के लिए आवेदक को सूचित करेगा ।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवार के आवेदक से कोई फीस एवं शुल्क भुगतेय नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होने सम्बन्धित कार्ड का सत्यापित प्रति अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी या सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें ।

(iii) शुल्क एवं फीस के रूप में प्राप्त राशि को बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा विहित प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा ।

4. <u>आवेदन पत्र का निष्पादन</u> :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के लिए आवेदन प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर अपने प्रशाखा से प्रपत्र ''ज'' में सूचना प्राप्त कर प्रपत्र ''घ'' में सूचना उपलब्ध करायेंगे अथवा अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदक को आवेदन अस्वीकृत कर उसे प्रपत्र ''च'' में सूचित करेंगे ।

परन्तु यह कि मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के तहत् छुट (मुक्त) होने के कारण सूचना नहीं दिये जाने का कारण लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को संसूचित किया जायेगा :-

परन्तु यह और कि जहाँ मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है वहाँ लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना, आवेदन प्राप्ति के अड़तालीस घन्टों के अन्दर देनी होगी ।

(2) अगर मांगी गयी सूचना लोक सूचना पदाधिकारी जिसे आवेदन दिया गया है के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत् नहीं आता है तो वह ऐसे आवेदन को प्रपत्र ''ङ'' में सम्बन्धित लोक प्राधिकार / लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन प्राप्ति के पाँच दिनों के अन्दर हस्तान्तरित करेंगे और इसकी सूचना आवेदक को देंगे ।

5. <u>फीस की दरें</u> :-

वांछित सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त करने के लिए फीस की दरें एवं अन्य शुल्क वही होगी जो परिशिष्ट-1 में निर्धारित है । बिहार विधान सभा उक्त फीस एवं शुल्क की दरों में समय-समय पर अधिसूचना जारी कर तथा राजकीय गजट में प्रकाशित कर परिशिष्ट-1 में संशोधन द्वारा पुर्ननिर्धारित कर सकेगा ।

6. अपील :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ''घ'' एवं ''च'' में दिये गये निर्णय से विक्षुब्ध अथवा कोई भी निर्णय नहीं दिये जाने पर विक्षुब्ध व्यक्ति अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निर्णय की प्राप्ति, अथवा निर्णय की अप्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रपत्र ''छ'' में परिशिष्ट-1 में निर्धारित शुल्क के साथ अपील कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम-6(2) में दिये गये ब्योरा के साथ एवं उक्त नियमावली के नियम 6(3) में वर्णित अभिलेख एवं कागजातों को संलग्न कर दायर कर सकेगा ।

7. अभिलेखों का संधारण :-

(1) लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के लिए प्राप्त आवेदनों और उस निमित्त प्राप्त फीस से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेंगे ।

(2) अपीलीय प्राधिकार प्राप्त सभी अपील एवं उस निमित्त प्राप्त फीस और उसके निष्पादन से संबंधित अभिलेखों को संधारित करेंगे ।

8. प्रकीर्ण :-

इस नियमावली के तहत् विहित किये गये प्रपत्रों को किसी प्राधिकृत पूर्व मुद्रित लेखन सामग्री में होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी फारमेट में साफ टंकित, हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक फार्म, जिसमें सभी आवश्यक विवरणी का समावेश प्रपत्रानुसार रहे, में मान्य होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार सरकार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय एवं अवर सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- सभा सचिवालय के सभी उप सचिव / श्री मु० जैनूल, उप सचिव सह अपीलीय प्राधिकारी / श्री चन्द्र भूषण पाठक, अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी एवं स्थापन शाखा, बिहार विधान सभा को (20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक:-1 स्था०-134/07- 680 /वि०स०, पटना, दिनांक- 8 मई, 2007 ई० ।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । यथा प्रकाशित अधिसूचना की तीस (30) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

8.5.2007

(परमानन्द झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रपत्र 'च'

(नियम 4 (1) देखें)

सूचना अस्वीकृत करने का आदेश

प्रेषक

लोक सूचना पदाधिकारी

..........................विभाग/कार्यालय

पता..

पत्रांक.................................दिनांक.....................................

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पता...

महाशय,

सूचना अपलब्ध कराने से संबंधित आपके आवेदन दिनांक...................................आई. डी. सं.................

..........................के प्रसंग में मुझे कहना है कि:

1. मांगी गई सूचना निम्न कारणों से उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है:-

   मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (....................................) अथवा धारा 9 के अंतर्गत छूट-प्राप्त श्रेणी में आता है ।

2. आप अगर उक्त निर्णय से क्षुब्ध है तो निर्णय-प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर .... के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं ।

नोट:- कृपया अपीलीय प्राधिकार का नाम/पता का विवरण दें ।

विश्वासभाजन,

( )

विभाग का नाम/कार्यालय

दूरभाष संख्या:

ई-मेल:

वेबसाईट:-

प्रपत्र 'क'

(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-प्रपत्र

आई०डी० सं०

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग / कार्यालय)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग / कार्यालय से संबंधित है ।
5. (1) मैंने .... रूपया (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं० .... से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है ।

   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश सं० .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ ।

   (3) मैंने .... रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है ।

   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ । मेरा कार्ड / वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है ।

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर :

तिथि

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है ।

जो लागू नहीं है उसे काट दें ।

प्रपत्र 'छ'
(नियम 6(1) देखें)
प्रथम अपील का फॉर्म

आई.डी.सं. ....
दिनांक ....
(कार्यालय व्यवहार के लिए)

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार

विभाग / कार्यालय ....

महाशय,

चूंकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूंकि लोक सूचना पदाधिकारी .... के निर्णय से क्षुब्ध हूँ, यह अपील आपके समक्ष दायर करता/करती हूँ। मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है :-

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. अपीलकर्ता का पता :
3. (क) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम :
   लोक सूचना पदाधिकारी का पता :
   (ख) विभाग/कार्यालय और पता :
   (ग) निर्णय का विवरण जिसके विरूद्ध अपील दायर किया जाता है
   निर्णय सं. एवं तिथि :
4. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने की तिथि
5. सूचना का ब्यौरा-
   (1) सूचना जो मांगी गई;
   (2) अवधि जिसके लिए सूचना की मांग की गई।
6. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने की तिथि :
7. अपील का कारण
   (क) फॉर्म 'क' में आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के अंदर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।
   (ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक .... से क्षुब्ध।
8. अपील का आधार/मामले संबंधित संक्षिप्त तथ्य :
9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि :
10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया :

मैं घोषित करता/करती हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना एवं ब्यौरे सत्य हैं।

स्थान :

तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पत्राचार का पुरा पता :

ई-मेल पता, अगर कोई हो :

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :

आवास :

-- यहाँ से अलग करें --

पावती

प्रेषक

लोक सूचना पदाधिकारी

.... विभाग/कार्यालय

पता ....

आई.डी.सं. .... दिनांक ....

श्री .... निवासी .... से बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम 6 के उप नियम (1) से द्वारा विहित प्रपत्र 'छ' में एक अपील आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्त करने वाले सहायक का हस्ताक्षर

अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय :

दूरभाष सं. (कार्यालय) :

आवास :

ई-मेल :

वेबसाईट :

....

उप सचिव

बिहार विधान

Optimized by www.ImageOptimizer.net

क्रम सं०	सूचना का ब्यौरा	फीस की राशि
1.	सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क	10/- रूपये प्रति आवेदन
2.	अन्य सूचना/अभिलेख (क) सूचना उपलब्ध कराने (i) ए4, ए3 साईज पेपर (ii) बड़ा साईज का पेपर	दो रूपये प्रति पृष्ट बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय
	(ख) सैम्पुल, मॉडल, फोटोग्राफ	वास्तविक व्यय की राशि
नोट :- विभाग के द्वारा सैम्पुल अथवा मॉडल के लिए निधारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा ।		
3.	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	पहले एक घंटे के लिए कोई फीस देय नहीं होगा । उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/- (पांच) रूपये की दर से शुल्क देय होगा ।
नोट : जहां कहीं इस प्रकार की पद्धति अथवा प्रक्रिया वर्त्तमान है वहां पूर्व से निर्धारित दर जारी रहेगी, और उपर्युक्त फीस लागू नहीं होगी ।		
4.	जहां संभव हो (फ्लॉपी/सी.डी.) और डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने पर	50/- (पचास) रूपये प्रति (फ्लॉपी) अथवा सी.डी. देय होगा ।
5.	अपीलीय प्रधिकार के तहत पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क ।	50/- (पचास) रूपये प्रति अपील ।

Optimized by www.ImageOptimizer.net